सरकार बनाम अज्ञात

प्रा0पत्र सुपुर्दगी

प्रा0पत्र नम्बर 167/78/21

तारीख हुक्म

नम्बर व तारीख अहकाम जारी हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 16–07–2021

आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। प्रार्थी ने जप्त शुदा गायों (2 काली व 2 सफेद) को सुपुर्दनामें पर दिये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थी ने निवेदन किया की जप्तशुदा गायें प्रार्थी स्वयं की मालिकाना हक है, गायों की पुलिस थाने को कोई आवश्यकता नहीं है पुलिस थाने में पशुओं के चारे तथा अन्य पोष्टिक खुराक का प्रबन्ध करने में असमर्थ है। गायों से परिवार को पालन–भोष्ण किया जाता है। गायों की पुलिस को कोई आवश्यकता नही है। अतः उक्त गायों को सुपुर्दगी पर दिया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया व प्रार्थी के निवेदन पर मनन किया। प्रकरण में जप्तशुदा गायों को सुपुर्दनामा पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना एम0आई0ए0 जिला अलवर से राय/टिप्पणी ली गई– थानाधिकारी पुलिस थाना एम0आई0ए0 ने अपने पत्रांक 1870 दिनांक 14.7.2021 से अवगत कराया कि मुकदमा हाजा में श्री विजेन्द्र सैन व बयानात गवाहान निरीक्षण धटनास्थल के आधार पर पाया कि दिनांक 5/6.7.21 की रात्रि को अज्ञात मुल0 द्वारा विजेन्द्र सैन के वाडे में चार गौवंश को चोरी कर टैम्पू नं0 आर जे 40 जीए 3975 में निर्दयता पूर्वक भर–भर गौकशी के ले जाना अपराध धारा 5, 6, 8, 9 आरबीए एक्ट व 379 आईपीसी का अपराध प्रथम दृष्टसर साबित है। प्रकरण में धारा 379 आईपीसी एड की गई है। अनुसंधान से मुकदमा हाजा में जब्तशुदा गायें विजेन्द्र पुत्र बंशीलाल जाति सैन निवासी नाहरपुर थाना उघोगनगर अलवर की होना पाया गया है। जब्तशुदा गौवंश को मालिक विजेन्द्र सैन को सुपर्दगी पर दिया जाये तो पुलिस कोई एजराज नहीं है। अनुसंधान जारी है।

पुलिस की अभिशंषा पर जप्तशुदा गायें को सुपुर्दनामा पर प्रार्थी के प्रार्थन पत्र को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी 2,00,000/–रूपये (दौ लाख रूपये) का सुपुर्दनामा व इसी कदर का जमानत नामा तस्दीशुदा प्रस्तुत कर दे तो जप्तशुदा गाये किसी अन्य प्रकरण में वॉछित न हो तो सुपुर्दनामा पर दे दी जावें।

उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा 2,00,000/–रूपये तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा व इसी कदर का जमानतनामा प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया । थानाधिकारी थाना एम0आई0ए0 को तहरीर जारी हो कि उक्त गायें किसी अन्य प्रकरण मुं वॉछनीय ना हो तो सुपुर्ददार श्री विजेन्द्र पुत्र बंशीलाल जाति सैन निवासी नाहरपुर थाना उघोगनगर अलवर को सुपर्दनामा पर दे दी जावें। जब भी न्यायालय को आवश्यकता हुई तो प्रस्तुत करना होगा।

प्रार्थना पत्र नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)